

जिला



गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

सधारण अंक 43/2011	विक्रम संवत् 2068	9(कृ०) पौष 1933 (शा०) जमशेदपुर, सोमवार, 19/12/11
विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1, स्वर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर द्वारा निकाले गये भू-अर्जन विभाग का अधिघोषणा।		
विषय सूची 1. भू-अर्जन विभाग से सम्बंधित अधिघोषणा।		पृष्ठ संख्या 01-14

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -841 / जमशेदपुर दिनांक -1.12.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-**भालुकबिन्दा चादर नं०-1**, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- **340**, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० एल० **49सी लघु वितरणी** निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **भालुकबिन्दा चादर नं०-1**, थाना नं०-**340** के भीतर भूमि का **32** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **2.12** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरों की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या - 68, 417, तथा अंश खेसरा संख्या- 6, 7, 11, 10, 9, 91, 90, 16, 88, 87, 69, 73, 74, 75, 77, 76, 191, 418, 416, 415, 414, 413, 412, 411, 409, 408, 407, 405, 406 एवं 72

चौहदी

उत्तर :- संयुक्त सीमारेखा ग्राम-वागवासा, थाना नं०-339

दक्षिण :- मिलान चादर नं०-2

पूरब :- अंश खेसरा संख्या- 6, 7, 10, 9, 91, 90, 88, 87, 68, 71, 75, 76, 77, 181, 416, 415, 411, 409, 408, 407, एवं 406

लगातार-2

(2)

पश्चिम :-अंश खेसरा संख्या- 407,413,414,415,417,416,418,191,74,73,72,70,69,67,66,16,
10, 4, 7, एवं 6

नोट :- अनावार झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या- 66, 67, 71, 70 का रकबा-0.
65 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 841 / जमशेदपुर, दिनांक -1.12.2011
प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी/हिन्दुस्तान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -842 / जमशेदपुर दिनांक -1.12.2011
चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि
ग्राम-वागवासा,परगना,थाना-घाटशिला, थाना नं0-339, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक

लगातार-3

(3)

प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० आर० 49सी लघु वितरणी निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम— वागवासा, थाना नं०—339 के भीतर भूमि का 3 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 0.55 एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरा की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या— 138, 139 एवं 140

चौहदी

उत्तर :- संयुक्त सीमारेखा ग्राम—कासियावेड़ा, थाना नं०—335

दक्षिण :- संयुक्त सीमारेखा ग्राम—भालुकविन्दा, थाना नं०—340

पूरब :- अंश खेसरा संख्या— आर० एफ० 89 एवं 139

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या— 140, 138, 89 एवं आर० एफ०

नोट :- अनावार झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या— 89 का रकबा—0.75 एकड़ तथा वन भूमि का खेसरा संख्या—आर० एफ० का रकबा—0.11 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू—अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा — 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा —3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी, सं०—1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह/—

विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी संख्या—1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह/—

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

लगातार—4

(4)

ज्ञापांक 842

/

जमशेदपुर,

दिनांक -1.12.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी/हिन्दुस्तान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

विशेष भु-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -843

/

जमशेदपुर

दिनांक -1.12.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-**जोरीसा चादर नं0-1**, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं0- **366**, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ0 आर0 **49वी लघु वितरणी** निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **जोरीसा चादर नं0-1**, थाना नं0-**366** के भीतर भूमि का **65** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **9.32** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरों की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या -378, 382, तथा अंश खेसरा संख्या-212, 204, 224, 227, 201, 251, 200, 272, 291, 365, 361, 367, 366, 373, 371, 377, 379, 383, 385, 431, 430, 432, 433, 448, 441, 443, 508, 509, 511, 510, 514, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 539, 610, 622, 628, 626, 627, 655, 657, 656, 659, 660, 661, 670, 678, 677, 680, 683, 682, 690, 691, 692, 693, 272, 696 एवं 336

चौहदी खण्ड-"क"

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-211, 137 एवं 212

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-137, 212, 211

पूरब :- :- संयुक्त सीमारेखा ग्राम-सोनाहातु थाना नं0-337

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या-137

लगातार-5

(5)

चौहदी खण्ड—“ख”

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या—211

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या—291

पूरब :- :- अंश खेसरा संख्या— 204, 224, 227 201, 251, 200 एवं 272

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या— 272, 200, 201 एवं 204

चौहदी खण्ड—“ग”

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या—516, 514, 508, 443, 442, 432, 384, 381, 380, 379, 379, 378, 377, 376, 373, 366, एवं 391

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या—291, 365, 361, 367, 371, 373, 376, 377, 379, 380, 384, 385, 430, 433, 441, 443, 508, 509, 511, 510 एवं 514

पूरब :- :- अंश खेसरा संख्या—291

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या—516

चौहदी खण्ड—“घ”

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या—516

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या—540 एवं 610

पूरब :- :- अंश खेसरा संख्या— 516, 519, 520, 521 एवं 539

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या— 610, 518, 517 एवं 519

चौहदी खण्ड—“ड.”

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या—272, 692, 691, 690, 680, 679, 678, 672, 660, 661, 659, 627, 619 एवं 622

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या—540, 610, 625, 626, 627, 655, 656, 658, 660, 661, 672, 678, 677, 680, 682, 683, 690, 691, 693, 692 एवं 696

पूरब :- अंश खेसरा संख्या— 538 एवं 522

पश्चिम :- पूर्ण खेसरा संख्या— 697

नोट :- वन भूमि का खेसरा संख्या - 619 का रकबा—0.16 एकड़ एवं अनावार झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या— 137, 211, 367, 380, 381, 384, 679 का रकबा—1.85 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

(6)

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 843

/

जमशेदपुर,

दिनांक -1.12.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी/हिन्दुस्तान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -844

/

जमशेदपुर

दिनांक -1.12.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-दक्षिणाशोल, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं0- 343, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ0 आर0 49सी लघु वितरणी निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर

लगातार-7

(7)

सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम— **दक्षिणाशोल**, थाना नं०—**343** के भीतर भूमि का **10** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **0.59** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरो की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या— 514, 513, 512, 511, 510, 494, 508, 505, 504 एवं 478
चौहदी

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या— 514, 513, 512, 511, 510, 494, 508, 505, 504 एवं 478

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या— 478, 504, 505, 508, 494, 510, 511, 512, 513, एवं 514

पूरब :- पूर्ण खेसरा संख्या— 477

पश्चिम :- संयुक्त सीमारेखा ग्राम—धोवाशोल, थाना नं०—342

नोट :- अनावार झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या— 514, 513, 512, 510, 494 का रकबा—0.71 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू—अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा — 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा —3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी, सं०—1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह०/—

विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी संख्या—1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।
ज्ञापांक 844 / जमशेदपुर,

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी/हिन्दुस्तान में प्रकाशनार्थ / उप—समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/—

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
दिनांक 1.12.2011

ह०/—

विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी संख्या—1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

लगातार—8

(8)

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -845

/

जमशेदपुर

दिनांक -1.12.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-**सोनाहातु**, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- **337**, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० आर० **49वी लघु वितरणी** निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **सोनाहातु**, थाना नं०-**337** के भीतर भूमि का **30** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **6.66** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरों की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या - 960, 867 तथा अंश खेसरा संख्या- 955, 961, 1034, 966, 963, 964, 965, 972, 932, 974, 906, 907, 904, 905, 901, 1012, 898, 892, 888, 887, 867, 865, 866, 864, 869, 1042, 851 एवं 852

चौहदी

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या- 955, 960, 1034, 963, 964, 965, 938, 974, 907, 904, 1013, 1012, 892, 888, 887, 865, 864, 869, 852, 851, 1042 एवं 870 तथा पूर्ण खेसरा संख्या-959।

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-870, 1042, 869, 867, 887, 888, 892, 1012, 898, 900, 901, 1013, 904, 905, 906, 974, 972, 965, 964, 963, 966, 962, 961 एवं 955

पूरब :- संयुक्त सीमारेखा ग्राम-वागवासा, थाना नं०-339

पश्चिम :- संयुक्त सीमारेखा ग्राम-जोरिसा, थाना नं०-366

नोट :- वन भूमि का खेसरा संख्या - 900, 870 का रकबा-0.66 एकड़ एवं अनावार झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या- 902 एवं 1013 का रकबा-0.35 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

लगातार-9

(9)

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह०/—

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/—

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 845 / जमशेदपुर, दिनांक 1.12.2011
प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी/हिन्दुस्तान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/—

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -846 / जमशेदपुर दिनांक -1.12.2011
चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि
ग्राम-भालुकबिन्दा चादर नं०-11, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- 340, जला-पूर्वी
लगातार-10

(10)

सिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० आर० 49सी लघु वितरणी निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम— भालुकबिन्दा चादर नं०—11, थाना नं०—340 के भीतर भूमि का 54 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 5.43 एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरा की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या — 519, 515 तथा अंश खेसरा संख्या— 470, 471, 475, 476, 478, 479, 533, 528, 527, 526, 529, 525, 524, 739, 517, 518, 520, 516, 514, 513, 512, 511, 510, 508, 507, 509, 506, 505, 504, 502, 499, 498, 497, 496, 495, 480, 479, 485, 492, 601, 600, 599, 736, 597, 596, 640, 641, 642, 643, 644, 503, एवं 500

चौहदी खण्ड "क"

उत्तर :- संयुक्त सीमारेखा ग्राम—काशियावेड़ा, थाना नं०—335
दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या—528 एवं 533
पूरब :- अंश खेसरा संख्या— 476, 478 एवं 479
पश्चिम :-अंश खेसरा संख्या— 479, 476, 471 एवं 470

चौहदी खण्ड "ख"

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या—528 एवं 533
दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या—518 एवं 520
पूरब :- अंश खेसरा संख्या— 533, 528, 529, 505, 517 एवं 518
पश्चिम :-अंश खेसरा संख्या— 520, 739, 525, 526, 527 एवं 528

चौहदी खण्ड "ग"

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या—518, 520, 519, 514, 513, 512, 511, 510, 508, 507, 506, 504, 502, 500, 497, 496, 479, 481, 485, 486, 792, 601, 600, 736, 597, 596, 540, 641, 642, 643, 644 एवं 595
दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या—595, 641, 596, 597, 736, 599, 600, 601, 492, 486, 485, 481, 480, 495, 498, 499, 502, 503, 505, 506, 492 एवं 520
पूरब :- संयुक्त सीमारेखा ग्राम—धोवाशोल, थाना नं०—342
पश्चिम :-अंश खेसरा संख्या— 518 एवं 520

(11)

नोट :- वनभूमि का खेसरा संख्या-492 का रकबा 0.12 एकड़ तथा अनावार झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या- 481, 486, 595 का रकबा-1.54 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक -846

/

जमशेदपुर,

दिनांक -1.12.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी/हिन्दुस्तान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -847

/

जमशेदपुर

दिनांक -1.12.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-
आमलाभुला, परगना,थाना-घाटशिला, थाना नं०-336,जिला-पूर्वी सिंहभूम में सार्वजनिक

लगातार-12

(12)

प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ0 आर0 **49वी लघु वितरणी** निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम— **आमलाभुला**, थाना नं0—**336** के भीतर भूमि का 56 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **7.38** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरो की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या—538,545 तथा अंश खेसरा संख्या— 477, 463, 464, 467, 479, 456, 442, 412, 411, 539, 540, 541, 535, 537, 544, 543, 374, 546, 547, 373, 567, 568, 569, 571, 583, 582, 576, 584, 577, 651, 650, 654, 647, 646, 676, 675, 667, 674,668, 673, 672, 671, 669, 670, 728, 729, 745, 749,750, 751, 996, 754, 570 एवं 585

चौहदी

उत्तर :- पूर्व में मुख्य नहर में अर्जित भूमि—

पूरब :- अंश खेसरा संख्या— 463, 467, 489, 456, 425, 412, 539, 538, 537, 544, 543, 545, 373, 568, 569, 583, 584, 577, 651, 650, 654, 647, 646, 676, 673, 672, 671, 670, 728, 729, 669, 748, 745, 749, 750, 753, 751, 996 एवं 931

दक्षिण :-संयुक्त सीमारेखा ग्राम—वागवासा, थाना नं0—339

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या— 931, 996, 751, 753, 750, 749, 748, 745, 747, 669, 668, 675, 647, 651, 576, 572, 571, 568, 567, 573, 547, 374, 535, 540, 411, 412, 425, 456, 489, 467 एवं 488

नोट :- वन भूमि का खेसरा संख्या— 512747, 753, 931 का रकबा 2.3 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू —अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा — 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा —3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

लगातार—13

(13)

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा ।

ह०/—

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर ।

ह०/—

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।

ज्ञापांक 847

/

जमशेदपुर,

दिनांक -1.12.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी/हिन्दुस्तान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह०/—

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर ।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -848

/

जमशेदपुर

दिनांक -1.12.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-**धोवाशोल**, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- **342**, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० एल० **49सी लघु वितरणी** निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **धोवाशोल**, थाना नं०-**342** के भीतर भूमि का **28** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **5.12** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरों की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या- 258,257,256, 240, 246, 242, 245, 243, 244, 219, 218, 224, 225, 226, 227, 228, 209, 200, 201, 202, 145, 144, 129, 128, 127, 126, 123 एवं 125

लगातार-14

(14)

चौहदी

उत्तर :- पूर्ण खेसरा संख्या- 122 तथा अंश खेसरा संख्या- 256, 257, 240, 242, 243, 144, 219, 224, 225, 226, 228, 209, 200, 201, 202, 145, 144, 512, 129, 128, 127, 123 एवं 125

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या- 125, 123, 126, 127, 128, 129, 512, 144, 145, 202, 201, 200, 209, 228, 227, 226, 225, 218, 244, 24, 246, 256, 257 एवं 258

पूरब :- संयुक्त सीमारेखा ग्राम-दक्षिणाशोल, थाना नं0-343

पश्चिम :- संयुक्त सीमारेखा ग्राम-भालुकविन्दा, थाना नं0-340

नोट :- अनावार झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या- 512 का रकबा-0.58 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 848

/

जमशेदपुर,

दिनांक -1.12.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी/हिन्दुस्तान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।